अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 14/2015-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा0का0नि0.......(अ).-- केंद्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले सभी माल को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 93 के अधीन उन पर उदग्रहणीय संपूर्ण शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करती है ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार